भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4975

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

कंपनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन

4975. डॉ कुलमणि सामल :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2014 से 2017 तक की अवधि में बहुत सी कंपनियों ने कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंडित की गईं कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने मामलों में उनसे अर्थ-दंड वसूला गया है तथा ऐसी कंपनियों का अर्थ-दंड राशि-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन कंपनियों के विरुद्ध आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड.): यह मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013/कंपनी अधिनियम, 1956 का प्रशासन करता है। शिकायतों, जांचों और निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर उल्लंघन के लिए कंपनी अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाती है जबकि अन्वेषण रिपोर्टों के आधार पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। अन्य कानूनों के तहत उल्लंघनों के लिए, संबंधित नियामकों/प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सूचना साझा की जाती है। कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा दायर अभियोजनों व लगाई गई शास्तियों तथा गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा दायर शिकायतों के विवरण अनुलग्नक-I पर दिए गए हैं। शास्तियों/जुर्मानों की वसूली से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 31 मार्च, 2017 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4975 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित अनुलग्नक

क. कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा दायर अभियोजनों और लगाई गई शास्ति का विवरण

(रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	दायर अभियोजन	लगाई गई शास्तियां
1.	2013-14	13,475	38,09,232
2.	2014-15	5,866	1,65,32,482
3.	2015-16	1830	64,01,902

ख. पिछले तीन वर्षों के दौरान गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय में विभिन्न न्यायालयों/स्तरों पर 229 शिकायतें दायर की गई हैं। वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है -

क्र.सं.	वर्ष	दायर शिकायतों की संख्या
1.	2013-14	94
2.	2014-15	86
3.	2015-16	49

*****